भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

7 दिसम्बर - 7 DECEMBER

ARMED FORCES FLAG DAY

कार्यालय [illegible]

- 1 JAN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024907

न्यास पत्र (ट्रस्ट-डीड)

Mukesh Kumar [illegible]
NOTARY

प्रमाणित: नागवेन्द्र सिंह पुत्र श्री छिद्दा सिंह निवासी ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस राज्य उ0प्र0 का हूं------------------------------मुख्य न्यासी

विदित हो कि मुकेश ने सार्वजनिक हित, युवा, उत्थान एवं शिक्षा प्रचार हेतु एक न्यास का गठन किया है, जो निम्न है:-

1. यह कि न्यास का नाम एस0सी0एस0बी0 इण्टर नेशनल स्कूल, ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस राज्य उत्तर प्रदेश होगा।
2. यह कि न्यास गठन रूपये 5,000/-रूपये (पांच हजार रूपये) की प्रारंभिक निधि से आरम्भ किया जा रहा है।
3. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रिकॉर्ड कार्यालय गांव गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस मे स्थित होगा उक्त न्यास के कामों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों को सुगम प्राप्त एवं बावत् इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

Rs.20

- 1 JAN 2013

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024908

2

4. यह कि न्यास में मुख्य न्यासी [illegible] न्यासी सचिव भी कहें जायेंगे। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए [illegible] जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित मे सदस्य के [illegible] को सहमत हैं न्यास का सदस्य नामित किया जाता है इस प्रकार से [illegible] को न्यास का सदस्य कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व सदस्यों को [illegible] सदस्य मण्डल कहा जायेगा।

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री [illegible] ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस राज्य [illegible] (न्यासी)
2. विक्रम सिंह पुत्र श्री [illegible] ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस राज्य [illegible] (न्यासी)
3. राजवीर सिह पुत्र श्री [illegible] ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस राज्य [illegible] (सदस्य)

न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. समाज के आर्थिक एवं [illegible] हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. निर्बल एवं असहायी [illegible] करने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।
3. अकाल, भूखा, बाढ़ [illegible] एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना।
4. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी [illegible] प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं [illegible] देकर आत्म निर्भर बनाना।
5. आमजन को परिश्रम [illegible] के लिये प्रोत्साहित करना तथा युवाओं का शिक्षित बेरोजगारों को [illegible] लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

भारत

रु.20

Rs.20

कार्यालय ... अधिकारी

1 JAN 2013

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024909

6. समाज के लोगों के लिये उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो, को आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

7. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने व उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, फार्मेसी, प्रबन्धन, बी०एड०, बी०टी०सी०, नर्सिंग, आई०टी०आई इत्यादि कालेज की स्थापना करना एवं संचालन करना।

8. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

9. न्यास के माध्यम से चिकित्सालय, महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय, एवं अन्य जन कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करते एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय-समय पर खेल-कूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

11. सदस्यों सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का सम्पादन करना।

12. निराश्रित अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिये उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।

13. सामाजिक असमानता को मिटाने के लिये धार्मिक तथा सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

कार्यालय उपनिबन्धक

- 1 JAN 2015

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024910

14. युवकों के कल्याण हेतु यथा सम्भव प्रयास करना एवं उनके लिये विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।

15. समस्त नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना।

16. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।

17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे संबंधित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।

18. विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिये इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर के तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिये तकनीकी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

19. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

20. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

21. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों को सदस्यता के लिये विभिन्न प्राविधानों को लिखित रुप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

22. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

भारत

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AA 024911

- 1 JAN 2013

23. न्यास की सम्पति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

24. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत् गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

25. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्त करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

26. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संस्थाओं, सरकारी अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य रूप से धन व सम्पतियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

5. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

<u>न्यास का गठन एवं संचालन:-</u>

(क)– न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष एवं न्यासी आजीवन सचिव होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी एवं न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जो उसके विधिक उत्तराधिकारी स्वमें व न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेंगे, किन्ही परिस्थितियों में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी की

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

कार्यालय उपनिबंधक

- 1 JAN 2013

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024912

नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुये की जायेगी।

(ख)– मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति , बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे।

(ग)– न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति का न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

(घ)– यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार के न्यास से पृथक नही किया जाता है यदिउसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छा पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल में शामिल होने की योग्यता न रखने अथवा न्यास मण्डल में सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ड) न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक होगी। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15, दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

कार्यालय उपनिबन्धक

1 JAN 2013

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024913

(घ) वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

<u>न्यास का कोषः–</u>

(क) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क, नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियां निहित होंगी।

(ख) न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए उसका खाता किसी डाकघर, या राष्ट्रीयकृत/अर्धराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकेगा। मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही का संपादन सचिव/न्यासी श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री छिद्दा सिंह उपरोक्त करेंगे।

न्यास के अभिलेख–न्यास के अभिलेख को तैयार करने, कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

6. <u>न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगीः–</u>

(क) यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंको इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय को बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करनेके लिए मुख्य न्यासी अधिकृत होंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में एक अन्य न्यासी सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री छिद्दा सिंह उपरोक्त अधिकृत होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

INDIA

Rs.20

कार्यालय उपकोषाधिकारी

1 JAN 2013

सादाबाद

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश · UTTAR PRADESH

08AA 024914

(ख) यह कि मुख्य न्यासी तथा उनकी अनुपस्थिति में सचिव वीरेन्द्र सिंह उपरोक्त की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या विकसित चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल, न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

(ग) यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त रहेगा न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

7. न्यास के आय–व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

8. न्यास द्वारा न्यास के विरूद्ध कोई भी वैधनिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

9. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

लिहाजा बदुरूस्ती होश हवास खम्सा अपने बिना किसी जब्र व दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से एस0सी0एस0बी0 इन्टर नेशनल स्कूल, ग्राम गढ़ पोस्ट तसींगा तहसील सादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 भारत INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश · UTTAR PRADESH 08AA 024515

- 1 JAN 2013

जिला हाथरस राज्य उत्तर के गठन व स्थापना के बावत् यह न्यासपत्र निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।
दिनांक:–11.03.2013 ई0

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर सदस्य:–1–

हस्ताक्षर सदस्य:–2–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AA 024916

साक्षी–1– वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री होतीलाल निवासी ग्राम सूमरा मौजा पचावरी तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

साक्षी–2– अमित कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गढ़ मौजा तसींगा तहसील सादाबाद जिला हाथरस।

टाइपकर्ता–
मुनीष राज वर्मा
तहसील सादाबाद

मसौदा–
जेबीर सिह जैसवाल
कातिब तहसील सादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उपकोषाधिकारी
18 FEB 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (11) P 660420

संलग्न अभिलेखानुसार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उपकोषाधिकारी
18 FEB 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12) AG 277143

संलग्न अपेक्षानुसार

Vijay...

489
11/3/17

दस्तावेज़ पेश करने की तिथि 11/3/17

पेश करने वाले का नाम
नागेन्द्र सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह

27

दस्तावेज 5000/-

रजि० शुल्क + प्रति० शुल्क = 100+20= 120/- 8.00

नागेन्द्र सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह
ग्राम हथींगा तह० मालपुरा

उप पंजीयक मालपुरा
आदेश क्रमांक 14/08
आदेश की तिथि 31-3-2008
उप पंजीयक मालपुरा (टोंक)

11/3/13 3 4

11/3/13

वीरेन्द्र सिंह व बिरेन्द्र सिंह व राजवीर सिंह पु
स्वर्गीय पुत्र श्री दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम
हथींगा तह० माल

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष
नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री दिग्विजय सिंह
(1) ... (2) ... (3) ...

वीरेन्द्र सिंह
छीतर लाल निवासी मौजा ... तह० मालपुरा
अभिजीत कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह
निवासी ग्रा० मौजा हथींगा तह० मालपुरा

11/3/13